dti

नैशनल मिनिमम वेज

‘फ़ैअर’ पीस रेट्स – ‘रेटिड आउटपुट वर्क’ उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था पर मार्गदर्शिका

अक्तूबर 2004

मिनिमम वेज के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं या आपको लगता है कि आपको कम पैसे मिल रहे हैं, तो मिनिमम वेज हैल्पलाइन का यह नंबर मिलाइए :

0845 6000 678

अगर अंग्रेज़ी आपकी आम बोलचाल की भाषा नहीं है, तो आपके कोई दोस्त या परिवार के सदस्य आपकी तरफ़ से फ़ोन कर सकते हैं। हम आपसे किसी दुभाषिये के ज़रिए भी बात करने का इंतज़ाम कर सकते हैं।

dti

यू के में व्यावसायिक सफलता के लिए बढ़िया माहौल तैयार करके, डी टी आई सभी के लिए खुशहाली की हमारी महत्वाकांक्षा पूरी करने का काम करती है। हम लोगों और कंपनियों को नए काम शुरू करने, नए तरीक़े अपनाने और सृजनात्मक शक्ति को बढ़ावा देकर, उनकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायता देते हैं।

हम यू के के व्यवसायों को अपने देश और विदेशों में भी बढ़ावा देते हैं। हम विश्व स्तर के विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारी पूंजी निवेश करते हैं। हम कामगार लोगों और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा, हम यू के, यूरोप और दुनिया भर में सबको समान मानने वाले और खुले बाज़ारों की हिमायत करते हैं।

फ़ैअर' पीस रेट्स – 'रेटिड आउटपुट वर्क' के प्रदान होने की नई व्यवस्था पर मार्गदर्शिका

1 अक्तूबर 2004 को नैशनल मिनिमम वेज (national minimum wage) से जुड़े 'फ़ैअर' पीस रेट्स ('fair' piece rates) प्रदान होने की एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है। यह व्यवस्था लगभग सभी आउटपुट कामगारों ('output workers') पर लागू होती है, जिसमें होमवर्कर्स (homeworkers) भी शामिल हैं। मिनिमम वेज के संबंध में 'आउटपुट वर्क' (output work) का मतलब है ऐसा काम जिसके लिए पूरी तरह से पैसे इस आधार पर दिए जाते हैं कि किसी काम करने वाले ने कुल कितनी वस्तुएं (piece-पीस) तैयार की हैं या तैयार करने में हिस्सा लिया है, या उत्पादकता आँकने का कोई और माप जैसे कि किसी कामगार के पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या क्या है।

होमवर्कर्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी नियोक्ता के लिए काम तो करते हैं, लेकिन उनके यहाँ जाकर नहीं। उनको मिनिमम वेज पाने का हक़ है, पर अक्सर उनको प्रति वस्तु या आउटपुट रेट के मुताबिक पैसे मिलते हैं और ऐसी हालत में मिनिमम वेज के संबंध में वे आउटपुट वर्कर्स माने जाएँगे।

नोट कीजिए: नई व्यवस्था खेती करने वाले कामगारों पर नहीं लागू होती है और उनको हर घंटे के लिए ऐग्रिकल्चरल मिनिमम वेज (Agricultural Minimum Wage) यानी कृषि–संबंधी न्यूनतम वेतन की दर के हिसाब से वेतन देने होंगे।

आउटपुट वर्क किसे माना जाता है?

'फ़ैअर' पीस रेट्स

- **1 अक्तूबर 2004** से आउटपुट वर्कर्स के वर्तमान 'फ़ैअर ऐस्टिमेट' ('fair estimate') के आधार पर हुए समझौतों की व्यवस्था बदल जाएगी और एक

नई व्यवस्था उसकी जगह ले लेगी। इसे 'रेटिड आउटपुट वर्क' कहते हैं और ये 'फ़ैअर' पीस रेट्स उपलब्ध कराएगी;

- नियोक्ताओं के लिए ज़रूरी होगा कि या तो वे अपने काम करने वालों को हर घंटे, कम से कम मिनिमम वेज की दर से वेतन दें या उनके द्वारा तैयार किए गए हर चीज़ या किए गए हर काम के लिए उनको 'फ़ैअर' पीस रेट अदा करें, जिसे उनको किसी भी आम कार्यकर्ता की कारगुज़ारी की दर के आधार पर तय करना होगा। **1 अक्तूबर 2004** से, 'फ़ैअर' पीस रेट निर्धारित करना ज़रूरी हो जाएगा ताकि औसत गति से काम करने वाले कामगार, मिनिमम वेज कमा सकें, और **6 अप्रैल 2005** से 'फ़ैअर' पीस रेट को 1.2 के फ़ैक्टर (गुणक) से गुणा करना ज़रूरी होगा;

उदाहरण के लिए, **1 अक्तूबर 2004** से, अगर औसत गति पर काम करने वाला कोई कामगार, हर घंटे 10 चीज़ें तैयार करेगा, तो उस चीज़ की 'फ़ैअर' पीस रेट 48.5 पैंस होगी; (उदाहरण के लिए 10 x 48.5 पैंस और £4.85, 1 अक्तूबर 2004 से, मिनिमम वेज की मुख्य प्रति घंटे की दर है)। **6 अप्रैल 2005** से इस संख्या को 'फ़ैअर' बनाने के लिए 1.2 से गुणा करना ज़रूरी होगा, मिसाल के लिए 48.5 पैंस x 1.2 = 58.2 पैंस;

- 'रेटिड आउटपुट वर्क लेजिस्लेशन' या क़ानून ऐसे काम करने वालों की बात करता है जो कोई सब्जैक्ट पीस ('subject piece') बनाते हैं, या कोई 'सब्जैक्ट टास्क' ('subject task') पूरा करते हैं। सब्जैक्ट पीस ऐसी चीज़ है जो बनाई या तैयार की जा रही है (जैसे कि कोई जम्पर बुनना)। सब्जैक्ट टास्क कोई ऐसा काम है जो किया जाता है (जैसे कि लिफ़ाफ़ों के अंदर कुछ रखना या अख़बार बाँटना)।

‘रेटिड आउटपुट वर्क’ की व्यवस्था लागू होने के लिए ज़रूरी शर्तें इस प्रकार है :

- कोई चीज़ बनाने या कोई काम पूरा करने के संबंध में किसी कामगार का अनुबंध, काम करने के सामान्य, न्यूनतम या अधिकतम घंटे तय नहीं करेगा;
- कोई चीज़ बनाने या कोई काम पूरा करने के संबंध में नियोक्ता वास्तव में किसी काम करने वाले के कार्य के घंटों का नियंत्रण नहीं करता है। मिसाल के तौर पर, वह न उसके काम शुरू करने या काम रोकने का समय और न किसी चीज़ को बनाने या किसी काम को पूरा करने का समय तय करता है;
- नियोक्ता ने किसी चीज़ या काम के संबंध में (‘मीन आवर्ली आउटपुट रेट’ (यानी हर घंटे की औसत दर) ('mean hourly output rate') निर्धारित की है। ‘मीन आवर्ली आउटपुट रेट’ का अर्थ है किसी कामगार द्वारा एक घंटे में तैयार होने वाली चीज़ों (जिसमें बनने वाली चीज़ों के आंशिक हिस्से भी शामिल हैं) की औसत संख्या या एक घंटे में कामगारों द्वारा पूरे होने वाले कार्यों की औसत संख्या (जिसमें अधूरे काम भी शामिल हैं);
- वेतन पाने की उपयुक्त अवधि (पे रेफ़रेंस पीरियड - pay reference period) के पहले (यानी कामगार व्यक्ति की वेतन पाने की सामान्य अवधि, उदाहरण के लिए, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीने) कामगार व्यक्ति को एक लिखित नोटिस में विशेष जानकारी देना ज़रूरी है।

रेटिड आउटपुट वर्क की व्यवस्था का परिणाम यह है कि औसत आउटपुट वर्कर – यानी ऐसा कामगार जिसकी काम करने की गति सामान्य है – वह

1 अक्तूबर 2004 से मिनिमम वेज का हक़दार होगा। लेकिन, इस परिभाषा का अर्थ है कि औसत दर से कम गति पर काम करने वाले कामगारों को मिनिमम वेज नहीं मिलेगा। **6 अप्रैल 2005** से नियोक्ताओं के लिए ज़रूरी होगा कि वे 'फ़ैअर' पीस रेट को 1.2 के गुणक से गुणा करें। इसका मतलब है कि उस तारीख़ से अधिकांश कामगार, जिसमें ऐसे काम करने वाले भी होंगे जो औसत कामगारों से कम तेज़ी से काम करते हैं, यह उम्मीद कर सकेंगे कि उनको भी मिनिमम वेज मिलेगा।

नए क़ानून के अनुसार कोई कामगार अपने पे रेफ़ेरेंस पीरियड के अंदर किसी चीज़ को बनाने (या किन्हीं ख़ास कार्यों को पूरा करने) में जितना समय लेता है, उसे उसी नियोक्ता और औसत कामगारों द्वारा लिया जाने वाला समय माना जाएगा। (यानी मीन आवर्ली आउटपुट रेट के मुताबिक काम करने वाले कामगार द्वारा उतनी चीज़ें तैयार करने (कार्य पूरे करने) का कुल समय। **6 अप्रैल 2005** से क़ानून घोषित करेगा कि किसी कामगार के काम के घंटों का हिसाब लगाने के लिए, किसी चीज़ को बनाने या किसी काम को पूरा करने में औसत कामगार द्वारा लिए गए समय को 1.2 से गुणा करना होगा।

नोट कीजिए, कि **6 अप्रैल 2005** से सारे कार्यदल की सभी दरें 1.2 से नहीं बढ़ी हैं। इस तरह की बढ़ोतरी सिर्फ़ तब हो सकेगी जब नियोक्ता 6 अप्रैल 2005 के पहले, मिनिमम कम्पलायंट रेट (minimum compliant rate) अदा करने लगा होगा, यानी अगर 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' 10 चीज़ें प्रति घंटे है, तो वह हर चीज़ के लिए 48.5 पैंस दे रहा होगा। अगर वह पहले ही से ऐसी दर पर

पीस रेट अदा कर रहा होगा जो मिनिमम कम्पलायंट रेट से काफ़ी ज़्यादा होगी, तब कोई बढ़ोत्तरी करने की ज़रूरत नहीं होगी।

नियोक्ता को क्या करना/जानना ज़रूरी है?

1 अपने व्यवसाय से जुड़ी चीज़ या काम की 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' का पता करने के लिए, नियोक्ता को ज़रूरी जाँच करने होंगे।

नियोक्ता निम्नलिखित कर सकता है :

- किसी भी ख़ास चीज़ या काम पूरा करने वाले अपने सभी कामगारों की जाँच करें। 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' का हिसाब लगाने के लिए नियोक्ता को तैयार की गई (या जैसा भी उचित हो) चीज़ों या पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या को, जाँचे गए कामगारों की कुल संख्या से विभाजित कर देना होगा; या

- वह सिर्फ़ अपने कुछ ही कामगारों को जाँच सकता है। ऐसी हालत में, उसे इन कामगारों में अलग-अलग गति से काम करने वालों को चुनना होगा। यह बात बहुत ही ज़रूरी है। अगर वह सिर्फ़ अपने सबसे तेज़ काम करने वाले कामगारों या औसत गति से लेकर तेज़ी से काम करने वाले कामगारों को चुनेगा, तो यह उचित नहीं होगा।

दोनों परिस्थितियों में जाँच संतोषजनक केवल तब होगी अगर वह ऐसी परिस्थिति में हो जो कामगारों की वास्तविक परिस्थिति से मिलती-जुलती हो।

- हम उम्मीद करेंगे कि जब हो सके, कामगार मुख्य

चीज़ों की जाँच करवाएँगे और नतीजे ताज़ा करने के लिए, समय–समय पर दोबारा जाँच करवाते रहेंगे। हमें विश्वास है कि जाँच करते समय नियोजकों को ध्यान देना होगा कि जाँच में हिस्सा लेने वालों में कामगारों का सही प्रतिनिधित्व हो – कामगारों की मात्रा को उसका 10% हिस्सा होना उचित होगा, हालाँकि इस बात को तय करने का काम नियोजकों का (और अगर ज़रूरी हो, तो अदालतों का होगा);

- अगर नियोजक के कामगारों की पहचान या संख्या समय के साथ बदलती है, तो नियोजक को एक दूसरी जाँच या आकलन करवाने की ज़रूरत केवल तब होगी अगर उसके पास यह मानने के कारण हों कि ये परिवर्तन 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' को प्रभावित करेंगे;
- औसत गति के वे जाँच या आकलन जो 'रेटिड आउटपुट वर्क' के नए क़ानूनों की शर्तो के अनुकूल होंगे, वे उचित होंग, चाहे वे (अक्तूबर 2004) के नियम लागू होने के पहले आयोजित हुए हों।

उदाहरण : 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' का पता करना

मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि कोई नियोजक 30 कामगार नियुक्त करता है और जाँच यह दर्शाते हैं कि उसमें से 10 कामगार हर घंटे 12 चीज़ें तैयार करते हैं, 14 कामगार हर घंटे 14 चीज़ें तैयार करते हैं और 10 कामगार हर घंटे 20 चीज़ें तैयार करते हैं।

ऐसी हालत में, 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' का हिसाब लगाने के लिए इस प्रकार कीजिए :

10 कामगार × 12 चीज़ें = 120 चीज़ें

10 कामगार × 14 चीज़ें = 140 चीज़ें

10 कामगार × 20 चीज़ें = 200 चीज़ें

30 कामगार मिलजुलकर एक घंटे में 460 चीजें तैयार करते हैं

460 को 30 से विभाजित कीजिए = 15.33

इस प्रकार, 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' 15 और एक तिहाई प्रति घंटा है।

2 दूसरा विकल्प है कि कुछ परिस्थितियों में, नियोजक किसी ख़ास वस्तु को तैयार करने या किसी ख़ास कार्य करने की गति आँक सकते हैं।

- कोई नियोजक किसी नए काम करने या चीज़ बनाने की 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' का अनुमान लगा सकता है अगर वह उस काम या चीज़ से काफ़ी मिलता-जुलता किसी दूसरे काम या चीज़ की 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' की जाँच पहले ही करवा चुका है। ऐसी हालत में, नए काम को पूरा करने या नई चीज़ को बनाने के बढ़े या घटे हुए समय को नज़र में रखते हुए, वह पहले के काम या चीज़ की 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' का उचित समायोजन कर सकता है और उस समायोजित दर को नए काम या चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है;

- अगर किसी ख़ास परिस्थिति में किसी चीज़ के उत्पादन/कार्य पूरा होने की जाँच पहले ही करवाई जा चुकी है - और उस संदर्भ में 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' का पता लगाया जा चुका है, तो नियोक्ता दूसरी परिस्थितियों में उसी उत्पादन/कार्य

के पूरे होने का अनुमान लगा सकता है। ऐसी हालत में, उस नियोक्ता को पहले की जाँच से जुड़ी दर को उचित तरह से समायोजित करना होगा। मिसाल के लिए, हो सकता है कि कोई नियोक्ता फ़ैक्ट्री के कर्मचारियों की जाँच करवाकर, होमवर्कर्स द्वारा किसी चीज़ को तैयार करने की अपनी रेट का उचित समायोजन करना चाहता हो। संभव है कि फ़ैक्ट्री के कर्मचारियों की दर को समायोजित करना इसलिए ज़रूरी हो कि होमवर्कर्स नए औज़ार इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको अपनी चीज़ें तैयार करने के लिए सामान खोलने की ज़रूरत पड़ती हो;

- नियोक्ता को यह अनुमति *नहीं* होगी कि वह इस तरीक़े से किसी दूसरी चीज़ की दर तय करे और उसके बाद, दूसरी चीज़ की दर के आधार पर, किसी तीसरी चीज़ की दर निर्धारित करे। उसे हमेशा ही, पहली जाँच का सीधा ज़िक्र करना होगा;

- जब **चीज़ें/काम** समान माने जा सकते हैं, और **समायोजन का उचित** होना या ना होना तय किया जा सकता है – तब कोई नियोक्ता अगर अनुमान लगाने का प्रावधान इस्तेमाल करने की सोचता है – तब काम की गति के संबंध में कामगार लोगों का उचित **प्रतिनिधित्व** करने के लिए अपने कुछ कामगारों को चुनने का काम, नियोक्ता का है;

- नियोक्ताओं को इन शर्तों को गंभीरता से लेना ज़रूरी है। अगर कोई मामला अदालत के सामने लाया जाता है, तो नैशनल मिनिमम वेज एक्ट 1998, के अनुसार नैशनल मिनिमम वेज अदा करने के उत्तरदायित्व निभाने की सिद्धि का काम नियोक्ता का है।

3 नियोक्ता को अपने हर कामगार को एक लिखित नोटिस देनी होगी।

ज़रूरी है कि नोटिस :

- कामगार व्यक्ति के पे रेफ़रेंस पीरियड शुरू होने के पहले जारी हो जाए। अगर नोटिस की शर्ते नहीं बदली हैं, तो हर पे रेफ़रेंस पीरियड के पहले, नयी नोटिस जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है;
- यह स्पष्ट करे कि, मिनिमम वेज के क़ानून का पालन करने के संबंध में, कामगार व्यक्ति को किसी अवधि के लिए काम करने वाला माना जाएगा;
- बयान दे कि अवधि तय करने के लिए, नियोक्ता ने जाँच कराई है या अपने कामगारों की किसी चीज़ को बनाने या पूरा करने की औसत गति का अनुमान लगाया है;
- किसी खास चीज़ बनाने या काम पूरा करने की 'मीन आवर्ली आउटपुट रेट' का बयान दे;
- किसी खास चीज़ बनाने या काम पूरा करने के लिए किसी कामगार को भुगतान होने वाली रक़म का बयान दे; और
- नैशनल मिनिमम वेज हैल्पलाइन का नंबर (**0845 6000 678**) प्रस्तुत करे।

जब कोई कामगार कई काम करता है – एक नियोजक के लिए अनेक चीज़ें बनाता/कार्य करता है – तब नोटिस में सभी काम और दरों का संदर्भ दिया जा सकता है। लेकिन, ऐसा करने से नोटिस बड़ी और

जटिल बन सकती है। नियोक्ता चाह सकते हैं कि वे विचार करें कि वे हर काम के लिए अपने कामगार को एक अलग नोटिस दें।

यह नोट करना ज़रूरी है कि अगर किसी कामगार को एक ऐसी लिखित नोटिस नहीं दी जाती है जो ऊपर लिखी शर्तों के अनुकूल है, या अगर नियोक्ता ने पीस रेट निर्धारित करते समय नियमों का पालन नहीं किया है, तो उसे अपने कामगार को उसको काम के हर घंटे के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इस कारण, अगर वे पहले ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो सभी होमवर्कर्स चाह सकते हैं कि वे अपने काम के घंटों का रिकॉर्ड रखें।

कामगारों को उपलब्ध कराई गई लिखित नोटिसों और फ़ैअर पीस रेट के निर्धारण के विवरण का रिकॉर्ड रखना नियोक्ताओं के लिए क़ानूनन ज़रूरी है।

इस मार्गनिर्देश के साथ एक एनेक्स के रूप में एक लिखित नोटिस, नमूने के तौर पर संलग्न है।

1 अक्तूबर 2004 से निम्नलिखित न्यूनतम दरें (मिनिमम रेट्स) लागू होंगी

मुख्य प्रति घंटे की दर (22+): £4.85

डेवलप्मेंट दर (Development Rate) (18-21): £4.10

16-17 वर्षीय लोग :£3.00 प्रति घंटा उनके लिए जो स्कूल जाने की अनिवार्य उम्र के ऊपर हैं, (इसमें वो नहीं शामिल हैं जो अप्रेंटिसशिप (apprenticeships) कर रहे हैं)।

और जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

अधिक जानकारी के लिए, या अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरी वेतन से कम मिल रहा है, तो आप इंनलैंड रैवेन्यू मिनिमम वेज हैल्पलाइन (Inland Revenue minimum wage helpline) का नंबर **0845 6000 678** मिला सकते हैं। कामगारों के विवरण गोपनीय रखे जाएँगे।

सभी कॉल स्थानीय दर पर वसूल होंगे। अपनी सेवा बेहतर बनाने के लिए, हो सकता है आपकी कॉल रिकॉर्ड हो या अपनी सेवा मॉनिटर करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए। अगर अंग्रेज़ी आपकी आम बोलचाल की भाषा नहीं है, तो आपके कोई दोस्त या परिवार के सदस्य आपकी तरफ़ से फ़ोन कर सकते हैं। हम आपसे किसी दुभाषिये के ज़रिए भी बात करने का इंतज़ाम कर सकते हैं।

आप मिनिमम वेज एंक्वायरीज़ (पूछताछ) को इस पते

पर लिख सकते हैं, Freepost PHQ1, Newcastle Upon Tyne NE 98 1ZH. सिर्फ़ अंग्रेज़ी भाषा में जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट **www.dti.gov.uk/er/nmw** पर जा सकते हैं।

आपको नैशनल ग्रुप ऑन होमवर्किंग ऐम्पलॉयमेंट राइट्स एडवाइस ऐंड इंफ़ॉरमेशन लाइन (National Group on Homeworking Employment Rights Advice and Information line) का नंबर 0800 174 095 मिलाकर भी सूचना मिल सकती है।

ये पत्रक कुछ अल्पसंख्यक भाषाओं में मिल सकते हैं (बंगाली, उर्दू, तमिल, पंजाबी, गुजराती और अंग्रेज़ी)। यह नंबर मिलाइए 0870 1502 500 या इस पते पर लिखिए : DTI Publications Order Line, Ad mail 528, London SW1W 8YT

इस पत्रक की जानकारी केवल सामान्य मार्गनिर्देश के लिए है। इसे कानून का एक संपूर्ण और अधिकृत बयान नहीं मानना चाहिए।

रटिड आउटपुट वर्क (फ़ैअर पीस रेट) नोटिस

पावती : [*कामगार का नाम लिखिए*]

प्रेषक : [*नियोक्ता का नाम लिखिए*]

1 यह नोटिस आपको यह सूचित करने के लिए है कि नैशनल मिनिमम वेज के कानून के पालन के लिए, आपके कार्य के दौरान, आपको एक निर्धारित समय के लिए काम करने वाला कामगार माना जाएगा [*पीस वर्क/उपयुक्त कार्य जैसे कि जम्पर बुनना, लिफ़ाफ़े भरना, अख़बार बाँटना इत्यादि लिखिए*] अगले और आने वाले [*उपयुक्त पे रैफ़रेंस पीरियड जैसे कि दिन, सप्ताह या महीने लिखिए*]।

2 समय का हिसाब लगाने के लिए आपको काम करने वाला व्यक्ति माना जाएगा, मैंने/हमने जाँचा है या औसत गति का अनुमान लगाया है जिसके अनुसार मेरे/हमारे कामगार इसी काम को करते हैं।

3 इस नौकरी की मीन आवर्ली आउटपुट रेट [*संख्या लिखिए*] प्रति घंटा है।

4 आपको जिस दर पर भुगतान होगा वो है [*यहाँ उचित तंख्या लिखिए*] और आपको जिस दर पर इस नौकरी में भुगतान होगा वो प्रति [*यहाँ उचित चीज़ का नाम लिखिए जैसे कि जम्पर, लिफ़ाफ़ा, अख़बार*] है।

5 नैशनल मिनिमम वेज हैल्पलाइन का नंबर है 0845 6000 678

तारीख़ : [*यहाँ उचित तारीख़ लिखिए*]

This guide has been produced in association with the Inland Revenue.
Printed in the UK on recycled paper with a minimum HMSO score of 75.
First published October 2004.
Department of Trade and Industry. http://www.dti.gov.uk/
© Crown Copyright. DTI/Pub 7629/1k/10/04/AP. (HINDI) URN 04/1784